50

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजनायें
(जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर)
***

क्रमांक:भू॰अ॰अ॰न॰वि॰/91 दिनांक: 6/6/91

भूमि अवाप्ति अधिकारी (नगर विकास परियोजनायें, जयपुर)

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण की अपनी योजनाओं के निर्माण व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम बदरवास में भूमि अवाप्ति बाबत। (मु॰-श्री राजकुमार चौधरी)

***

मुकदमा नम्बर

1- 121/88
2- 129/88
3- 131/88
4- 137/88
5- 139/88
6- 145/88
7- 148/88
8- 152/88
9- 160/88

आ दे श

उपरोक्त विचाराधीन भूमि को अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984) का केन्द्रीय अधिनियम सं॰1) की धारा 4(1) में सूचना क्रमांक प॰6(15) न॰वि॰आ/11/87 दिनांक 6-1-1988 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 7 जनवरी 1988 को करवाया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5 ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा के भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प॰6(15)/नविआ/3/87 दिनांक 28-7-89 का प्रकाशन राजस्थान राज्य पत्र जुलाई 31, 1989 को किया गया।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन करवाया गया उसमें ग्राम बदरवास तहसील जयपुर में अवाप्ति-धीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है।

क्र॰सं॰	मुकदमा नम्बर	खसरा नम्बर	खातेदार का नाम	अवाप्तिधीन रकबा बीघा बिस्वा
1-	121	9	गोविन्दराम, कैलाश भैरूराम शर्मा	0-05
		10		0-15
		166/11/1		14-13
2-	129	38	राजकीय भूमि	1-11
		40		4-35
		108		1-08
3-	131	35	श्री लीलाराम पुत्र श्री रामकिशन शर्मा	0-17
		36	रामपुरा कोटा	0-05

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनायें,
जयपुर

1	2	3	4	5
4-	137	49/1	राम पुत्र हेमा, पंवार पुत्र धुमा आदि	0-11
5-	139	55	भगवानी बेवा कमा धायल	0-35
		86		1-10
		89		1-18
6-	145	76	धुमाराम, रामचंदर, मेवाराम, मोहनलाम धोधू पुत्र सुंदर, $\frac{1}{2}$ गोपी पुत्र धोधू $\frac{1}{2}$	0-01
7-	148	81	भूरा पुत्र नाथू धायल	1-13
		82		1-18
		88	श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible]	2-02
8-	152	93	भौंरया पुत्र मोती मेघवाल	0-19
		94		0-06
		95		1-00
		96		0-11
		97		0-19
		98		1-00
		99		2-04
		100		0-13
		101		0-01
		102		0-19
		103		0-16
		104		2-05
9-	160	79/159	[illegible] पुत्र [illegible]	17-12

कु.सं.1 मुकदमा नं.121, खसरा नं.9,10,166/11/1 :-

धारा 6 के तहत नोटिफिकेशन में खसरा नं. 9 व 10 व 166/11/1 की गोविन्दराम पेमाराम पुत्र मेवाराम सिंधी के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया जिसे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने लेने से इन्कार कर दिया अतः नोटिस चस्पा किया गया इसके उपरान्त दिनांक 29.5.91 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारों/ हितकारियों को तामील कुनिन्दा, यू.आई.टी. द्वारा एवं दिनांक 25.5.91 के नवभारत टाइम्स व दैनिक [illegible] समाचार में प्रकाशन कराये गये। बावजूद उपरोक्त नोटिस तामील के खातेदारान/हित-धारी अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान/ हितधारान के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

52

अमल में लायी गई ।

क्र०सं० 2 मुकदमा नं० 129 खसरा नं० 38,40,108 :-

धारा 6 के नोटिफिकेशन में ख० 38,40 व 108 राजकीय भूमि दर्ज है केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत राजकीय [illegible] भूमि होने के कारण तहसीलदार जयपुर को रजिस्टर्ड ए डी नोटिस दिनांक 17-5-91 को दिया गया एवं दिनांक 25-5-91 के नवभारत टाईम्स व नवज्योति अखबार में प्रकाशन कराया गया बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ । इसलिए एक तरफा कार्यवाही होने के बावजूद भी राज्य सरकार में, निहित की गई प्रार्थना के अतिरिक्त के०पी० मिश्रा का यह कथन है कि यह भूमि राजकीय होने के कारण स्वतः ही राज्य सरकार में, निहित होजाती है अतः इसका अवार्ड पारित करने की आवश्यकता नहीं है । हम इस तर्क से सहमत है । अतः इस भूमि का अवार्ड पारित करने की आवश्यकता नहीं है । खसरा नम्बर 38 40,108 रकबा 1-11,4-05,1-05,1-08 स्वतः ही निहित मानी जावेगी ।

क्र०सं० 3 मु० नं० 131 खसरा नं० 35,36 :-

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं० 35,36 की खेवटदार पुत्र रामकिशन जाति रामपुरा कोटा के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया जिसे तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने लेने से इन्कार कर दिया अतः नोटिस चस्पा किया गया इसके उपरान्त दिनांक 29-5-91 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारों/हितकारियों को तामिल कुनिन्दा, रजिस्टर्ड ए०डी० द्वारा एवं दिनांक 25-5-91 को... के नवभारत टाईम्स व दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशन कराये गये । बावजूद उपरोक्त नोटिस तामिल के खातेदारान/हितकारी अनुपस्थित रहे । अतः खातेदारान/हितकारान के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्र०सं० 4 मु०नं० 137 खसरा नं० 49/1:-

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख०नं० 49/1 की रामु पुत्र हेमा [illegible] पुत्र सुवा [illegible] के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया जिसे तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने लेने से इन्कार कर दिया अतः नोटिस चस्पा किया गया । इसके उपरान्त दिनांक 29-5-91 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये धारा 9 व 10 का नोटिस खातेदारों/हितकारियों को तामिल कुनिन्दा, रजिस्टर्ड ए०डी० द्वारा एवं दिनांक 25-5-91 के नवभारत टाईम्स व दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशन कराये गये बावजूद उपरोक्त नोटिस तामिल

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परि...
जयपुर

के खातेदारान/हितधारी अनुपस्थित रहे । अतः खातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण 5 मु.नं. 139 खसरा नं0 53,56,59 :-

धारा 6 के बाद नोटिफिकेशन में खसरा 53,56,59 श्रीमती [illegible] के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने लेने से इन्कार कर दिया अतः नोटिस चस्पा किया गया । इसके उपरान्त दिनांक 29.5.91 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदार/हितधारियों को तामील कुनिन्दा, रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा एवं दिनांक 28.5.91 के नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशित कराये गये । बावजूद उपरोक्त नोटिस तामील के खातेदारान/हितधारी अनुपस्थित रहे । अतः खातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण 6 मु. 145 खसरा नं0 78:-

धारा 6 के बाद नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 78 श्री दुलाराम, रामचन्द्र, छगनलाल, छोटू लाल, लल्लू, पूरण सुन्दर, गोपी पुत्र छोटू के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने लेने से इन्कार कर दिया अतः नोटिस चस्पा किया गया इसके उपरान्त दिनांक 29.5.91 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारों/हितधारियों को तामील कुनिन्दा रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा दिनांक 28.5.91 के नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशित कराये गये । बावजूद उपरोक्त नोटिस तामील के खातेदारान/हितधारी अनुपस्थित रहे । अतः खातेदारान/हितधारान सब के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण 7 मु.नं. 148 खसरा नं0 81,82,83:-

धारा 6 के बाद नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 81,82,83 श्री [illegible] पुत्र [illegible] एवं श्रीमती [illegible] कुमारी पुत्री राजा [illegible] सिंह [illegible] (कुंवरानी) एवं पत्नी कुंवर [illegible] सिंह [illegible] के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने लेने से इन्कार कर दिया अतः नोटिस चस्पा किया गया इसके उपरान्त दिनांक 29.5.91 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारों/हितधारियों को तामील कुनिन्दा, रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा एवं दिनांक 28.5.91 के नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशित कराये गये । बावजूद उपरोक्त नोटिस तामील के खातेदारान/हितधारी अनुपस्थित रहे । अतः खातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी ।

प्रकरण 8 मु.नं. 152 खसरा नं0 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104:-

धारा 6 के बाद नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 93,94,95,97,98,99,100, 101,102,103,104 श्री [illegible] पुत्र [illegible] के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने लेने से इन्कार कर दिया अतः नोटिस चस्पा किया गया इसके उपरान्त दिनांक 29.5.91 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारों/हितधारियों को तामील कुनिन्दा, रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा एवं दिनांक 28.5.91 के नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशित कराये गये । बावजूद उपरोक्त नोटिस तामील के खातेदारान/हितधारान अनुपस्थित रहे । अतः खातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास न्यास
जयपुर

<u>प्रकरण नं० 180 खसरा नं०79/139:-</u>

धारा 6 के तहत नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 79/139 की भाग पुन संख्या कुछ के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने लेने से इन्कार कर दिया अतः नोटिस चस्पा किया गया उसके उपरान्त दिनांक 29-5-91 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये धारा 9&10 के नोटिस खातेदारों/हितधारियों को तामील कुनिन्दा रजिस्टर्ड व डी द्वारा एवं दिनांक 29-5-91 के दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशन कराये गये। बावजूद उपरोक्त नोटिस तामील के खातेदारान/हितधारी अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुताबिक में सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक 26-4-91 को दिया गया जो तामील कुनिन्दा द्वारा दिनांक 2-5-91 को संबंधित तहसील/ग्राम पंचायत, नोटिस बोर्ड व ग्राम पंचायत व तहसील को दिये व चस्पा कराये।

<u>मुआवजा निर्धारण :-</u>

जहाँ तक उपरोक्त खसरा नम्बरों के खातेदारान/हितधारान को मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त कार्यवाहियों में एकतरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/हितधारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान/हितधारान की ओर से मुआवजे की राशि की मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के अनुसार इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिये भूमि अवाप्त की जा रही है को भी पत्र व्यवहार किया गया जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने पत्र क्रमांक टी डी आर/91/336 दिनांक 3-6-91 द्वारा इस संबंध में सूचित किया कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम बदरवास में 15,000/- प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का बेचान हुआ था इसलिये जहाँ तक उनके पत्र का संबंध है यह दर उचित है।

इसके बाद संबंध में उप पंजीयक एवं तहसीलदार तहसील जयपुर के यहाँ से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण ने भी अपने यू.ओ.नोट दिनांक 3-6-91 द्वारा तहसील सांगानेर में धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आस-पास की भूमि का मुआवजा राशि 24000/- रु. प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया कि यदि मुआवजा राशि 24,000/- प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि इस समय पूर्व में भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24000/- रु. प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये हैं।

अतः इस मामले में भी इस भूमि की मुआवजा राशि 24000/- रु. प्रतिबीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं। एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा 4 के तहत नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिये 2 वर्ष की समयावधि नियत है लेकिन खातेदारान/हितधारान को धारा 9 व 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा, रजिस्टर्ड ए.डी. एवं अखबार पत्र में प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं होना व क्लेम पेश नहीं करना इस बात का द्योतक है कि वे अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते। इसलिये एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं
जयपुर

[illegible] के द्वारा कोई [illegible] पेश नहीं किया गया और न ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा [illegible] से अनुतोष [illegible] पेश किये गये है। ऐसी स्थिति में [illegible] यदि कोई हो तो उसे मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार भूमि के मुआवजे का निर्धारण [illegible]/- रु. प्रति बीघा की दर से [illegible] मुआवजे का [illegible] निर्धारित [illegible] का निर्धारण परिशिष्ट [illegible] अनुसार [illegible] अवार्ड [illegible] किया जा रहा है।

अतिरिक्त [illegible] पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि [illegible] नगर योजना के अन्तर्गत 22 ग्राम जयपुर नगर [illegible] शामिल है [illegible] अधिनियम 1976 के [illegible] धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित [illegible] है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1) एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलेशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का देय दोनों मिलाकर निर्धारित परिशिष्ट (स) में मुआवजे की राशि में जोड़ दर्शाया गया है।

यह अवार्ड आज दिनांक 6-6-91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर
(जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर)

यह अवार्ड आज दि 29/6/91 को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.6(15) नवि.प्रा/87 दि. 29/6/91 के द्वारा अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ है। इस अवार्ड में ख. न. $\frac{81}{1-13}$, $\frac{82}{1-18}$, $\frac{89}{1-18}$, पर मा. उच्च न्याया. की रिट याचिका सं. 3583 द्वारा अवार्ड पर स्थगन आदेश है अत: ख. न. 81, 82, 89 का अवार्ड घोषित कर फाइल नहीं किया जा सकता है)

ख. न. $\frac{9}{0-05}$, $\frac{10}{0-15}$, $\frac{166/11/1}{14-13}$, $\frac{38}{1-11}$, $\frac{40}{4-05}$, $\frac{108}{1-08}$, $\frac{35}{0-17}$, $\frac{36}{0-03}$, $\frac{49/1}{0-11}$, $\frac{55}{0-05}$, $\frac{86}{1-10}$, $\frac{76}{0-01}$, $\frac{88}{2-02}$, $\frac{93}{5-19}$, $\frac{94}{0-06}$, $\frac{95}{1-00}$, $\frac{96}{0-11}$, $\frac{97}{0-19}$, $\frac{98}{1-00}$, $\frac{99}{2-04}$, $\frac{100}{0-13}$, $\frac{101}{0-01}$, $\frac{102}{0-19}$, $\frac{103}{0-16}$, $\frac{104}{2-05}$, $\frac{79/159}{17-12}$ पर स्थगन आदेश नहीं है अत: इन ख. न. का अवार्ड आज

है। इवालगा को घोषित कर फाइल किया जाता है।

18-5-96

खसरा नम्बरान 81, 82, 89 ग्राम कादरवास का अवार्ड राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F6(15) नावि/आ/87 दिनांक 29-6-91 द्वारा अनुमोदन होकर प्राप्त हुआ था किन्तु उपरोक्त खसरा नम्बरान पर मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड की घोषणा पूर्व में नहीं की गई थी। अब 22-4-96 को मा० उच्च न्यायालय के डबल बैंच द्वारा अपीलों का निर्णय राज्य सरकार/न्यास के हित में कर दिया गया है। जिसकी प्रति इस कार्यालय में आज दिनांक 18-5-96 को प्राप्त हुई है। अतः मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की अनुसरण में ख० नं० 81, 82, 89 का अवार्ड आज दिनांक 18/5/96 को सरेइजलास घोषित किया जाता है। खातेदारान को धारा 12(2) के नोटिस जारी हों भुगतान के लिये अवार्ड की एक प्रति सचिव न्यास को भिजवाई जावे।

18.5.96

परिशिष्ट "ब" ग्राम [illegible]

क्र.सं.	मु.न.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा बी. बि.	भूमि के मुआवजे की दर	भूमि के मुआवजे की राशि	सोलेशियम राशि 30%	अतिरिक्त राशि 12% 2 वर्ष 10 माह	कुल मुआवजा	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	127	[illegible]	9	0-05	24,000/-	6,[illegible]00/-	1800/-	5,040/-	9843/-	
			10	0-15	"	18,000/-	5400/-	6,120/-	29,120/-	
2	131	[illegible] व रामसिंह रामपुरा [illegible]	164/11/1	14-13	"	3,51,600/-	1,05,480/-	1,19,544/-	5,76,624/-	
			35	0-17	"	20,400/-	6,120/-	6,936/-	33,456/-	
			36	0-03	"	3,600/-	1,080/-	1,224/-	5,904/-	
3	137	[illegible]	49/1	0-11	"	13,200/-	3,960/-	4,488/-	21,648/-	
4	139	[illegible]	55	0-05	"	6,000/-	1,800/-	82,040/-	9,840/-	
			86	1-10	"	36,000/-	10,800/-	12,240/-	59,040/-	
			59	1-18	"	45,600/-	13,680/-	15,504/-	74,784/-	
5	145	[illegible]	76	0-01	"	1,200/-	360/-	408/-	1,968/-	
6	148	[illegible]	81	1-13	"	39,600/-	11,880/-	13,464/-	64,944/-	
			82	1-18	"	45,600/-	13,680/-	15,504/-	74,784/-	
			88	2-02	"	50,400/-	15,120/-	17,136/-	82,656/-	
7	152	[illegible]	93	5-19	"	1,42,800/-	42,840/-	48,552/-	2,34,192/-	
			94	0-06	"	7,200/-	2,160/-	2,448/-	11,808/-	
			95	1-00	"	24,000/-	7,200/-	8,160/-	39,360/-	
			96	0-11	"	13,200/-	3,960/-	4,488/-	21,648/-	
			97	0-19	"	22,800/-	6,840/-	7,752/-	37,392/-	
			98	1-00	"	26,000/-	7,800/-	8,168/-	39,360/-	
			99	2-04	"	52,800/-	15,840/-	17,952/-	86,592/-	
			100	0-13	"	15,600/-	4,680/-	5,304/-	25,584/-	
			101	0-01	"	1,200/-	360/-	408/-	1,968/-	
			102	0-19	"	22,800/-	6,840/-	7,752/-	[illegible] 37,392/-	
			103	0-16	"	19,200/-	5,760/-	6,528/-	31,488/-	
			104	2-05	"	54,000/-	16,200/-	18,360/-	88,560/-	

भूमि अवाप्ति अधिकारी
[illegible] विकास परियोजनाएं,
जयपुर

58

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.	160	[illegible]	79/159	17-12	24,000/-	4,22,400/-	1,26,720/-	1,63,416/-	6,71,736/-	
					14,59,200/-	4,37,760/-	5,76,120/-	23,93,080/-		

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

[illegible]

[illegible]